# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
## पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
## राजस्व वाद संख्या 86/2016

सोहन पुत्र सरदार जाति मेहरात निवासी ग्राम हरराजपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान हाल कार्यरत नंबर 15469059 दफेदार भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून उत्तराखण्ड।

..............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं भूधारक तहसील परिसर मसूदा जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पटवार हल्का बस्सी तहसील मसूदा जिला अजमेर।

............प्रतिवादीगण

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 101 राजस्थान भू राजस्व0 अधिनियम 1956

## निर्णय

दिनांक 14.06.2017

वादी ने अपने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम बचपडी पटवार क्षेत्र बस्सी भू0 नि0 क्षेत्र किराप तहसील मसूदा स्थित आराजी ख0 न0 320 मि0 रक्बा 17–10–00 के 5 बीघा रक्बे पर उसने सडक के सहारे सहारे चारो तरफ मेड बना रखी है जिस पर उसके पिता के समय से गत 40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है।

वादी भारतीय सैन्यू अकादमी में सेनिक है और उसने देश में कई जगह सेवाऐं दी है व दे रहा है। गांव हरराजपुरा में उसकी पत्नि व बच्चे व परिवार के लोग निवास करते है तथा कब्जेकाश्त शुदा आराजी का उपयोग जानवर पालने एवं काश्त करने में करते आये है।

वादी ने सेनिक कोटे से सेवारत सेनिको के कल्याण हेतु विवादित आराजी के आंवटन बाबत् राजस्थान सरकार सेनिक कल्याण बोर्ड कलक्टर महोदय उपखण्ड अधिकारी मसूदा आदि को पत्र लिख कर निवेदन किया है जो क्रमशः दिनांक 7.03.2014, 10.09.2015, 26.06.2015, 28.07.2015, 17.01.2016, 21.01.2016, 09.02.2016 व 18.03.2016 है। जिसमें कलक्टर महोदय ने अनुशंषा भी की है लेकिन प्रतिवादी स0 1 द्वारा आवटंन संबधी कोई कार्यवाही नही की है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी को विवादित आराजी 5 बीघा का आवंटन कर खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी स0 1 ने निवेदन किया है कि मामला भू आंवटन सलाहकार समिति के क्षेत्राधिकार का है। समिति के निर्णय पर कार्यवाही संभव है। प्रतिवाद पत्र पर निम्न तनकियात कायम कर शहादत वादी तलब की गई

तनकी – 1 आया वादी विवादित आराजी में जरिये आवंटन खातेदार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी है? यथानुसार नकेश में तरमीम करवाने एवं राजस्व अभिलेख में अमल करवाने का अधिकारी है?

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

इसका भार वादी पर रहा है और उसने इसको सिद्ध करने के लिए उसके द्वारा राजस्थान सरकार एवं सेनिक बोर्ड के अधिकारियों को लिखे गये पत्रो की प्रतियां पेश की है और निवेदन किया है कि उसके परिवार के लोग विवादित आराजी पर पशुधन पालते है तथा कृषि करते है व वह स्वयं सेना में रहकर देश सेवा कर रहा है। वादी आंवटन चाहते है और आंवटन करवाने का अधिकारी है खातेदार होने की घोषणा का वर्तमान स्थिति में अधिकारी नही है अतः आंशिक तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

**तनकी – 2** आया मामला आंवटन नियम 1970 के अनुसार भू आवन्टन सलाहकार समिति के क्षेत्राधिकार का है?

इसका भार प्रतिवादी स0 1 पर रहा है उसने लिखित एव मौखिक रूप से आंवटन का क्षेत्राधिकार भू0 आंवटन सलाहकार समिति का होना बताया है। प्रतिवादी पत्रानुसार भी उन्हे वादी को विवादित आराजी के आंवटन किये जाने में कोई आपत्ति नही है अतः तनकी बहक वादी तय की जाती है

**अनुतोष?**

वादी अपने वाद पर अपेक्षित अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी पाया जाता है अतः वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है और वादी को ग्राम बचपडी पटवार क्षेत्र बस्सी तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 320 मि0 रक्बा 17–10–00 के 5 बीघा रक्बे में भूमि आंवटन किया जाना न्यायालय समुचित एवं आवश्यक पाती है। वादी भू आंवटन सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित हो ताफैसला भू आंवटन सलाहकार समिति के वादी विवादित आराजी पर यथास्थिति चलता रहे।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 13:50:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: